AAP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा (राज.)

एच.डी.एफ.सी. बैंक बनाम श्री राजकुमार हरिजन

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट नं. 07 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.04.2025	पत्रावली सक्शन से बाद जांच पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी बैंक के खर्चे पर विपक्षीगण की तलबी जरिये Reg AD के की जावें। नोटिस जारी हो। प्रकरण देखने तामील विपक्षीगण हेतु 20.05.2025 को पेश हो।	
20-5-25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। कार्यालय में कम होने की सूचना मिलने से न्यायालय कार्य स्थगित किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु 04-06-25 को पेश हो। जसमीत सिंह संधू जिला कलक्टर भीलवाड़ा	
4.6.25 (मंथन जोशी)	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री मनधन जोशी ने विपक्षी पक्षकार के साथ हुये समझौता पत्र की प्रतिलिपि पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवाली प्रकरण में समझौता अनुसार बकाया राशि प्रार्थी बैंक में जमा हो जाने से प्रार्थी बैंक उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। विपक्षी की ओर से विपक्षी स. मय अधिवक्ता श्री अजय नौलखा के साथ पेश होकर उक्त प्रकरण का आपसी राजीनामा हो जाने से प्रकरण को फैसल करने का निवेदन किया। उभयपक्षकारान को सुना गया तथा पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज के आधार पर पक्षकारान में समझौता हो जाने से अब इस प्रकरण में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है। अतः प्रार्थी बैंक का विपक्षीगण से समझौता हो जाने के आधार	राजकुमार Id by me Adv.

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा